

अत्यावश्यक
माननीय उच्च
न्यायालय मामला

पत्र संख्या:-ई0/कोर्ट केस-01-606/20163251/...../

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

फैक्स/ई-मेल ✓

प्रेषक,

उमाशंकर राम,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

पुलिस अधीक्षक,
जमुई।

पटना, दिनांक- 01-4-मार्च, 2016

विषय:- सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-558/2016 मोहन प्रसाद एवं अन्य बनाम्
बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.03.2016 को पारित आदेश के
अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 3046 दिनांक 29.03.2016

महाशय,


निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेशित किया था कि उक्त वाद से संबंधित अतिक्रमित भूमि को 7 (सात) दिनों के अन्दर खाली कराकर भूधारी को कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में इस आशय का प्रतिशपथ पत्र दायर करें कि जमीन उन्हें (भूधारियों को) वापस कर दी गई है। जिसके संबंध में आपके स्तर से की जा रही कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः उक्त आदेश का निश्चित रूप से ससमय अनुपालन करते हुए दायर प्रतिशपथ पत्र की प्रति (ओथ संख्या दिनांक सहित) विभाग को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

~~अनुलग्नक-यथोक्त।~~

विश्वासभाजन,


01-04-16
सरकार के उप सचिव।